



एकता एवं आत्मनिर्भरता का सूत्रपात करता सहकारिता आन्दोलन ।

COOPERATIVE MOVEMENT USHERING IN UNITY AND SELF-RELIANCE

डॉ सुमन यादव

एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज

शेख सराय फेज-2, नई दिल्ली 110017

लेख के मुख्य शब्द-

अनभिज्ञ, सशक्त, आत्मनिर्भरता, पृष्ठभूमि, विपणन, आजीविका, पारदर्शिता, पारस्परिक, लैंगिक, उन्मूलन, तद्योपरान्त, स्वामित्व, कामकाज, समावेशिता, अपनापन, मुख्य जरिया, ताने-बाने, महासंघ, उपभोक्ता, नवाचार, गुणात्मक, अपशिष्ट, परवाह, अंतर्निहित, लचीलेपन, बरकरार, रचनात्मक, प्रतिबिंबित, अधिशेष ।

लेख का उद्देश्य-

इस विषय पर लेख लिखने का मुख्य उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन के महत्व और सकारात्मक प्रभावों के बारे में पाठकों को सूचित, शिक्षित एवं प्रेरित करना है। सहकारिता आंदोलन ने देश में पारस्परिक एकता को और सट्टा करने और आत्मनिर्भरता की ओर निरन्तर कदम बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लेख लिखकर मैं ऐसे आंदोलनों के अस्तित्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती हूँ तथा इस माध्यम से पाठकों के बीच सहकारिता आंदोलनों के इतिहास, सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी साझा की जा सकती है चूंकि बहुत से पाठक इस बात से भी शायद अनभिज्ञ होंगे कि सहकारी समितियाँ काम कैसे करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक एकजुटता में उनका योगदान क्या है। अंतः वास्तव में यह लेख वास्तविक जीवन के उदाहरण और सहकारी समितियों की सफलता की कहानियाँ साझा करके सहकारी समितियों की समुदायों को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की हकिकत बयां कर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करने की कोशिश मात्र है ।

देश की आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता की स्थापना में, सहकारिता एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि एक साथ काम करने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से जितना हासिल कर सकते हैं उससे अधिक सहकारिता एवं सहयोग के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। कैसे सहकारी आंदोलन संसाधनों, बाजारों और वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करके व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कैसे सहकारी आंदोलन सामाजिक विभाजन को पाट सकते हैं और समाज में विभिन्न समूहों के बीच एकता और एकजुटता की भावना पैदा कर सकते हैं के बारे

में बताते हुए लेख का उद्देश्य सहकारी आंदोलनों की उपलब्धियों का जश्न मनाना और पाठकों को ऐसी पहलों में अधिक सक्रिय भागीदार व समर्थक बनने के लिए प्रेरित करना है।

सार-

सहकारिता या सहकारी आंदोलन एक सामाजिक-आर्थिक अवधारणा और प्रथा है जिसने समुदायों और समाजों के भीतर एकता और आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आंदोलन सहयोग, आपसी समर्थन और साझा संसाधनों के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है। यहां इस बात का संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि सहकारी आंदोलन किस प्रकार एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। सहकारिता लोगों को एक साथ लाती है, एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। सदस्य अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं, जिससे यह सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। सामूहिक रूप से काम करके, व्यक्ति आपसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों, ज्ञान और कौशल को एकत्रित कर सकते हैं, जो समुदाय के भीतर संबंधों को मजबूत करता है।

सहकारी समितियां अक्सर कृषि, विनिर्माण या खुदरा जैसी आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और सदस्यों को उन बाजारों और संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं जो वे व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाते। सहकारी समितियों में भाग लेने से, व्यक्ति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग ले सकते हैं, बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं, और ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान देती है। सहकारिता व्यक्तियों और समुदायों को अपने स्वयं के आर्थिक और सामाजिक विकास का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाकर स्व-सहायता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है। कई मामलों में, सहकारी समितियाँ कृषि और कृषि-आधारित गतिविधियों का समर्थन करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कई अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं।

कुछ सहकारी समितियाँ टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि जैविक खेती या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण के माध्यम से दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता। सहकारी आंदोलन लोगों को सामूहिक रूप से उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ लाकर एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और सहयोग, एकजुटता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का पालन करते हुए समुदायों के समग्र विकास में योगदान देता है। भारत में महिलाओं की भूमिका सहकारिता एवं सहकारी समितियों के कार्यान्वयन में अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है व उन्होंने इस क्षेत्र को दिशा देने का कार्य किया है।

भारत में सहकारिता आन्दोलन-

भारत में सहकारिता आंदोलन एवं सहकारिता के लिए बने संगठनों का एक महत्वपूर्ण और व्यापक नेटवर्क रहा है जिनकी आवश्यकता आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महसूस की जाती रही है। सहकारिता जोकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में पड़ी जब सर फ्रेडरिक निकोलसन जैसे नेताओं ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुद्दों को संबोधित करने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहकारी ऋण समितियों की शुरुआत की थी। इन सहकारी समितियाँ में कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारी समितियाँ, आवास सहकारी समितियाँ और भी बहुत सारी सहकारी समितियाँ शामिल हैं। भारत में कुछ प्रसिद्ध सहकारी संगठनों में

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) मुख्यरूप से शामिल हैं।

भारत में सहकारिता आम तौर पर रोशडेल सिद्धांतों पर आधारित है, जो स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों द्वारा आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता और समुदायिक चिंता पर जोर देती है। भारत के सहकारी आंदोलनो में महत्वपूर्ण सरकारी भागीदारी और समर्थन देखा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना की गई। कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, जिन्हें प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) भी कहा जाता है, ग्रामीण भारत में प्रचलित हैं। ये सहकारी समितियाँ किसानों को ऋण और विभिन्न कृषि सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती हैं। जबकि भारत में सफल सहकारी आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डेयरी क्षेत्र है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ), जो अमूल ब्रांड का विपणन करता है, एक अग्रणी डेयरी सहकारी संस्था है जिसने डेयरी किसानों को सशक्त बनाया है और देश में डेयरी उद्योग को बदल दिया है। इसके साथ-साथ भारत में सहकारी बैंकों का एक बड़ा नेटवर्क है जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। ये बैंक स्थानीय आबादी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

सहकारी आंदोलन का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और कई भारतीयों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में मदद की है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कुल मिलाकर, भारत में सहकारी आंदोलन देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है। इसने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, स्व-सहायता को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारिता के महत्व के बावजूद, भारत में सहकारी आंदोलन को शासन के मुद्दों, वित्तीय अस्थिरता और कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि इन चुनौतियों से निपटने और सहकारी समितियों के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिन्हें और दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है।

सहकारिता का उद्देश्य-

भारत में सहकारी समितियाँ कई महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य पूरा करती हैं, जो मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और अपने सदस्यों के कल्याण पर केंद्रित हैं। भारत में सहकारिता का लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। वे अपने सदस्यों के लिए ऋण, बाज़ार और संसाधनों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी आजीविका और आय में सुधार करने में मदद मिलती है। सहकारी समितियाँ विशेषकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करने के लिए काम करती हैं। वे छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों और कारीगरों को संसाधनों और बाजारों तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं। जिन लोगों की पारंपरिक बैंकों तक पहुँच नहीं है, उन्हें बचत और ऋण जैसी सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके सहकारी समितियाँ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि सहकारी समितियों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करना और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को कम करना है।

कार्यकर्ता सहकारी समितियों सहित विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और सदस्यों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना, समग्र रोजगार सृजन में योगदान देना भी है। कुछ सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास जैसी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने पर केंद्रित हैं, जिससे उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है। ये सहकारी समितियाँ अक्सर महिलाओं को आर्थिक अवसर, कौशल विकास और नेतृत्व की भूमिकाएँ प्रदान करके महिलाओं को

सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करती हैं, जिससे वे कृषि, वित्त और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने में सक्षम बन सके। इनमें से कई सहकारी समितियाँ टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार उत्पादन विधियों को बढ़ावा देना है।

आम तौर पर सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती हैं, जिससे सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी मिलती है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देता है। इनमें सदस्य संसाधनों को एकत्रित करने के लिए एक साथ आते हैं और जरूरत के समय, जैसे आपात स्थिति या संकट के दौरान पारस्परिक सहायता प्रदान भी करते हैं। अपने सदस्यों को बाजारों तक पहुँचाने, बेहतर कीमतों पर बातचीत करने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में इन समितियाँ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ताकि मुनाफे का उचित हिस्सा सदस्यों को प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके है। ये उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों के साथ संरेखित हैं जो सहकारी संगठनों का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और समुदाय के लिए चिंता इत्यादि। भारत में सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सहकारिता की अवधारणा-

भारत में सहयोग का तात्पर्य व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों और सरकारी संस्थाओं द्वारा पारस्परिक लाभ और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रथा से है। सहयोग भारतीय समाज में गहराई से समाया हुआ है और इसकी जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में निहित हैं। भारत में सहयोग एवं भाई-चारे की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ग्रामीण समुदाय अक्सर सहकारी खेती करते थे, जहाँ किसान रोपण और कटाई के मौसम के दौरान एक-दूसरे के खेतों में मिलकर काम करते थे। यह परंपरा देश के कई हिस्सों में आज भी जारी है। देश में सहकारी आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर कृषि क्षेत्र में। सर फ्रेडरिक निकोलसन जैसे नेताओं द्वारा शुरू किए गए सहकारी ऋण आंदोलन का उद्देश्य किसानों को ग्रामीण ऋण प्रदान करना, उन्हें साहूकारों से मुक्त होने में मदद करना था। तद्योपरान्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (1954) ने भारत की सहकारी ऋण प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सहकारी समितियाँ, अक्सर छोटे किसानों, कारीगरों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों द्वारा स्थापित की जाती हैं, जो ऋण, विपणन, खरीद और उपभोक्ता सेवाओं सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। उदाहरणों में कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारी समितियाँ (जैसे, अमूल), और उपभोक्ता सहकारी समितियाँ शामिल हैं। भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें सहकारी बैंक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सहकारी ऋण प्रणाली का समर्थन करता है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ), जो अमूल ब्रांड का विपणन करता है, की सफलता भारत में सहकारी सफलता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। डेयरी फार्मिंग और सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए इस मॉडल को विभिन्न राज्यों में दोहराया गया है।

भारत सरकार ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) शामिल हैं। ये संगठन सहकारी उद्यमों के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और नीति समर्थन प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के छोटे, आर्थिक रूप से सजातीय समूह हैं जो बचत करने और ऋण प्राप्त करने

के लिए एक साथ आते हैं। ये समूह भारत में महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का एक शक्तिशाली साधन रहे हैं।

कई शैक्षणिक संस्थान एवं संस्थाएँ छात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क पर जोर देते हुए एक सहकारी शिक्षण माहौल को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) भी युवाओं में सहयोग और सामुदायिक सेवा की भावना को बढ़ावा देने वाले सहयोगी ग्रुप हैं। यहाँ तक की जल प्रबंधन, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए समुदायों के एक साथ आने के कई उदाहरण हैं। इन प्रयासों की सफलता में अक्सर जमीनी स्तर पर सहयोग शामिल होता है। सहयोग भारत के सामाजिक ताने-बाने में गहराई से अंतर्निहित है, जो देश की विविधता और विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है। यह देश में आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक एकजुटता और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सहकारिता के सिद्धांत-

सहकारी समितियाँ ऐसे संगठन हैं जिनका स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनके पारस्परिक लाभ के लिए किया जाता है। वे सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित हैं जो उनके संचालन और शासन का मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत, जिन्हें रोशडेल सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है जो सन् 1844 में रोशडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स द्वारा विकसित किए गए थे और तब से विभिन्न सहकारी संगठनों द्वारा अनुकूलित और विस्तारित किए जा रहे हैं। सहकारी समितियों के प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार हैं:-

स्वैच्छिक और खुली सदस्यता: सहकारी समितियाँ उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली हैं जो जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना उनकी सेवाओं का उपयोग करने और सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। सदस्यता आम तौर पर स्वैच्छिक होती है और समावेशिता के सिद्धांत पर आधारित होती है।

लोकतांत्रिक नियंत्रण: सहकारी समिति के सदस्यों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान मतदान के अधिकार होते हैं, जोकि लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और निर्णय ऐसे हो जो सभी सदस्यों के हितों को प्रतिबिंबित करें।

सदस्य आर्थिक भागीदारी: सदस्य सहकारिता की पूंजी में समान रूप से योगदान करते हैं और इसके आर्थिक लाभों में भी उनकी परस्पर हिस्सेदारी होती है। इस प्रकार यह सिद्धांत वित्तीय भागीदारी और सदस्यों के बीच लाभ या अधिशेष के उचित वितरण को बढ़ावा देता है।

स्वायत्तता और स्वतंत्रता: सहकारी समितियाँ स्वायत्त, स्वयं सहायता संगठन हैं जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। वे अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाने वाले निर्णय लेने के लिए सरकारी या निजी निगमों जैसे बाहरी प्रभावों से स्वतंत्रता बनाए रखते हैं।

शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना: सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को सहकारिता के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान देने में मदद करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। वे जनता और उनके सदस्यों को सहकारी समितियों की प्रकृति और लाभों के बारे में भी सूचित करते हैं।

सहकारी समितियों के बीच सहयोग: सहकारी समितियाँ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य सहकारी समितियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती हैं। यह सिद्धांत सहकारी उद्यमों के बीच आपसी समर्थन और एकजुटता को बढ़ावा देता है।

समुदाय के लिए चिंता: सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली सेवाएँ और उत्पाद प्रदान करके अपने समुदायों के सतत विकास के लिए काम करती हैं। वे अक्सर सामाजिक और सामुदायिक विकास पहल में संलग्न रहते हैं।

वित्तीय उत्तरदायित्व और स्थिरता: सहकारी समितियाँ अपनी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय प्रथाओं को बनाए रखती हैं। इसमें वित्तीय संसाधनों का बुद्धिमान से प्रबंधन करना और अधिशेष को इस तरह से आवंटित करना शामिल है जिससे सदस्यों और सहकारिता की स्थिरता को लाभ हो।

सहकारिता के ये सिद्धांत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें उपभोक्ता सहकारी समितियाँ (वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वामित्व वाली), कार्यकर्ता सहकारी समितियाँ (कर्मचारियों द्वारा स्वामित्व और संचालित), कृषि सहकारी समितियाँ (कृषि उत्पादन और विपणन के लिए किसानों द्वारा गठित) के साथ-साथ और बहुत सारी समितियाँ एवं संगठन शामिल हैं। सहकारी समितियों का लक्ष्य लाभ अधिकतमकरण से अधिक अपने सदस्यों और समुदायों के हितों को प्राथमिकता देकर एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना होता है।

भारत में सहकारिता के चिन्हित क्षेत्र और इतिहास-

भारत में सहकारिता का एक समृद्ध इतिहास है और वह विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सहकारिता के सबसे महत्वपूर्ण घटक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सरकारी समर्थन और कानून के साथ, भारत में सहकारिता आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है। सहकारिता ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक सशक्तिकरण में योगदान दिया है। यह भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। कृषि सहकारी समितियाँ भारत में कृषि के क्षेत्र में सहकारी आंदोलन 1904 में गठित सहकारी क्रेडिट सोसायटी अधिनियम के साथ शुरू हुआ। 1954 की अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट सर्वेक्षण रिपोर्ट ने कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया। 1946 में अमूल के गठन ने भारत में डेयरी फार्मिंग में क्रांति ला दी, जिससे कई डेयरी सहकारी समितियों का निर्माण हुआ।

सहकारिता के क्षेत्र में ऋण सहकारी समितियों की स्थापना 20वीं सदी के सहकारी ऋण आंदोलन के साथ शुरू हुई तथा 1904 के सहकारी क्रेडिट सोसायटी अधिनियम की नींव रखी गई। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना की गई। आवास सहकारी समितियाँ 1950 के दशक से भारत में सक्रिय हैं, जो सदस्यों को किफायती आवास विकल्प प्रदान करती हैं। मुंबई सहकारी आवास समितियाँ आवास परिसरों और अपार्टमेंटों के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं। उपभोक्ता सहकारी स्टोर 20वीं सदी की शुरुआत से ही अस्तित्व में हैं, जो उचित कीमतों पर सामान पेश करते हैं। केन्द्रीय भंडार भारत में एक प्रमुख उपभोक्ता सहकारी संस्था है।

मछुआरा सहकारी समितियों का उदय भी मछुआरा समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। केरल में मछुआरों की सहकारी समितियों का एक मजबूत नेटवर्क है। हथकरघा और हस्तशिल्प सहकारी समितियों का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को संरक्षित कर कारीगरों का समर्थन करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके अलावा श्रम सहकारी समितियों ने अक्सर श्रमिक संघों के रूप में श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) एक उल्लेखनीय श्रम सहकारी संस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ आदिवासी समुदाय के विकास और टिकाऊ आजीविका पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड)

आदिवासी कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देता है। परिवहन सहकारी समितियाँ सदस्यों को परिवहन सेवाएँ प्रदान करती हैं। तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) एक परिवहन सहकारिता का अहम उदाहरण है।

औद्योगिक सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) रसायन और उर्वरक उद्योग में एक महत्वपूर्ण सहकारी कंपनी है। विपणन सहकारी समितियाँ भी किसानों को सामूहिक रूप से उनके उत्पादों का विपणन करने में मदद करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) एक प्रमुख विपणन सहकारी संस्था है। भारत में स्वास्थ्य सहकारी समितियाँ सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाएँ और बीमा प्रदान करती हैं जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एक सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सहकारी संस्था है। अनेक शैक्षिक सहकारी समितियाँ सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती हैं। सहकार भारती और सहयोग स्कूल सहकारी समिति सहकारी शिक्षा पहल में शामिल हैं।

भारतीय सहकारिता आंदोलन और महिलाओं की भागीदारी -

भारत में सहकारिता आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी समितियाँ ऐसे संगठन हैं जिनका स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनका लक्ष्य सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करना है। सहकारी समितियों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी का उनके आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। । महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और इस संदर्भ में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें संसाधनों तक सीमित पहुँच, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ शामिल हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): स्वयं सहायता समूह महिलाओं के छोटे, अनौपचारिक संगठन हैं जो बचत करने, ऋण प्राप्त करने और आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं। एसएचजी भारत में सहकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कई महिलाओं ने महिला-केंद्रित सहकारी बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की है। इन संस्थानों ने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपने घरों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में सक्षम बनाया है। इसी तरह कृषि सहकारी समितियों में इनकी सक्रिय भागीदार से, विशेषकर डेयरी फार्मिंग और बागवानी में महिलाओं को प्रशिक्षण, संसाधनों तक पहुँच और सामूहिक रूप से अपने उत्पादों का विपणन करने से, उनकी आय और आजीविका बढ़ाने के लिए एक मंच प्राप्त हुआ है। महिला कारीगर और बुनकर अक्सर सहकारी समितियों का हिस्सा होती हैं जो पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देती हैं। ये सहकारी समितियाँ पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आय का स्रोत प्रदान करने में मदद करती हैं। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता सहित विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि उनके सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है। इससे परिवारों और समुदायों के भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार हुआ है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। भारत सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का लक्ष्य महिला स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को मजबूत करना है।

सहकारी समितियाँ-

सहकारी संस्था, जिसे अक्सर सह-ऑप के रूप में जाना जाता है, व्यक्तियों या संगठनों का एक स्वायत्त संघ है जो स्वेच्छा से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। सहकारी समितियाँ स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता और एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। सहकारी समितियों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता इत्यादि शामिल हैं।

ये समितियाँ स्वायत्त संगठन होते हैं जो स्व-प्रबंधित तथा सरकार या अन्य बाहरी संस्थाओं से अलग हैं। सहकारी समितियाँ अपने सामूहिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए अक्सर अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग करती हैं। सामान्य प्रकार की सहकारी समितियों में कृषि सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ (जैसे, खुदरा स्टोर), श्रमिक सहकारी समितियाँ (जहाँ कर्मचारी सामूहिक रूप से किसी व्यवसाय के मालिक होते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं), और आवास सहकारी समितियाँ शामिल हैं।

सहकारिता आत्मनिर्भरता के पर्याय के रूप में-

सहकारिता की पहल वास्तव में भारत में आत्मनिर्भरता को ओर सट्ट कर देने में योगदान देती रही हैं। जबकि "सहकारी" और "आत्मनिर्भरता" अलग-अलग अवधारणाएं हैं, वे परस्पर अनन्य नहीं हैं, और सहकारी प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिसमें सहकारी समितियाँ अपने संसाधनों को एकत्रित करने के लिए व्यक्तियों या समूहों को एक साथ लाती हैं, चाहे वह पूंजी, श्रम या ज्ञान हो। संसाधनों की यह पूलिंग सदस्यों को उन संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम कर सकती है जिन्हें वे वहन करने या व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह, बदले में, अधिक आत्मनिर्भरता को जन्म दे सकता है।

आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे पैमाने के किसानों, कारीगरों और अन्य हितधारकों को सामूहिक रूप से अपने उत्पादों का विपणन करने, ऋण तक पहुँचने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करके उन्हें सशक्त बना सकती हैं। व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उनकी आत्मनिर्भरता में योगदान देता है और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करता है। कुछ क्षेत्रों में, सहकारी समितियाँ आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करके स्थानीय उत्पादन और वितरण में मदद कर सकती हैं। जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर और आयात की आवश्यकता को कम करके किसी भी देश या क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी और ज्ञान के संप्रेषण को भी सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है क्योंकि सहकारी समितियों में अक्सर सदस्यों के बीच ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करना शामिल होता है। यह ज्ञान-साझाकरण समुदायों और व्यक्तियों को बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने में सक्षम बनाकर अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है।

सहकारी समितियाँ सामान्यतः सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करके समग्र सामुदायिक विकास में योगदान दे सकती हैं। एक आत्मनिर्भर समुदाय बाहरी समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक लचीला और बेहतर ढंग से सुसज्जित होता है। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, सहकारी उद्यम लगाना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना ही सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। इसे स्थानीय उत्पादों के मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और समुदाय के भीतर धन को बनाए रखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में, सहकारी समितियों ने ऐतिहासिक रूप से कृषि, डेयरी और ऋण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आर्थिक विकास और व्यक्तियों और समुदायों के सशक्तिकरण में योगदान दिया है। हालाँकि अकेले सहकारिता ही आत्मनिर्भरता की गारंटी नहीं दे

सकती है, लेकिन सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने, संसाधनों को साझा करने और स्थानीय क्षमता का निर्माण करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यह एक मूल्यवान रणनीति बनाने में मददगार जरूर हो सकती है।

देश के आर्थिक विकास में सहकारिता की भूमिका-

किसी देश के आर्थिक विकास में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न तरीकों से राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देती है। व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थानों के बीच सहयोग से विचारों, ज्ञान और संसाधनों को साझा कर नवाचार को बढ़ावा देती है। यह नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा दे कर आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती है। संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद करते हुए जब विभिन्न संस्थाएं एक साथ काम करती हैं, तो विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सकता है, जिससे अपशिष्ट कम होगा एवं उत्पादकता में गुणात्मक सुधार होगा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और राजनयिक संबंधों के रूप में भी सहकारिता किसी देश की बाज़ार में पहुंच और अवसरों का विस्तार कर सकता है। वैश्विक व्यापार में संलग्न होने से निर्यात और आयात को बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो बदले में नौकरियां पैदा कर सकता है और देश की जीडीपी को बढ़ावा दे सकता है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा सुविधाएँ और संचार प्रणालियों के लिए अक्सर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। ये परियोजनाएं देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और कनेक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं जो निवेश और व्यवसायों को आकर्षित करता है तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। प्रभावी सहयोग वित्तीय संकट को रोकने और स्थिर आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करने में भी इससे मदद मिलती है।

नवाचार को बढ़ावा देने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, बाज़ार के अवसरों का विस्तार करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, मानव पूंजी को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने इत्यादि के द्वारा देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक बहुमुखी भूमिका निभाती है। सामाजिक कल्याण, पर्यावरण का संरक्षण, और बुनियादी ढांचे के निवेश को सुविधाजनक बनाना, सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहकारिता आधारित सहयोग महत्वपूर्ण है।

भारत की एकता एवं अखंडता में सहकारिता का योगदान-

समृद्ध इतिहास वाले विविध और बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र भारत में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में सहयोग एवं सहकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण है। यहां सद्भाव बनाए रखने और संघर्षों को रोकने में विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। विविध पृष्ठभूमि के लोग त्योहार मनाने, परंपराओं को साझा करने और एक-दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं। यह सहयोगात्मक सह-अस्तित्व भारत की एकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संघीय संरचना है जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित किया जाए, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग आवश्यक है। भारत की आर्थिक प्रगति एक एकीकृत कारक रही है। व्यापार और वाणिज्य में सहकारिता ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं को पाटने में मदद की है। व्यापार, निवेश और विकास में सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता में योगदान दिया है।

धार्मिक मान्यताओं की विविधता के बावजूद, भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों के एक साथ रहने और आम भलाई के लिए सहयोग करने का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने देश के सामाजिक ताने-बाने और

अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में योगदान दिया है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शैक्षणिक संस्थानों ने हमेशा विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वानों, कलाकारों और छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षणिक सहभागिता ने लोगों के बीच संबंधों को मजबूत किया है। भारत में भाषाई विविधता के बावजूद बहुभाषी दृष्टिकोण अपनाकर एक सहयोगात्मक प्रयास किया है जो भारत की एकता के लिए आवश्यक है। भारत को अक्सर बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। संकट के समय में, प्रभावित क्षेत्रों को समय पर राहत और सहायता प्रदान करने में सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है जो सहकारिता का जीता-जागता उदहारण है।

सहयोगात्मक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं। भारतीय संविधान एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सहयोग और सम्मान को बढ़ावा देता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह कानूनी ढांचा एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है। अपनी विविधता के लिए मशहूर देश भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहकारिता आधारित सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की एक साथ काम करने की क्षमता ने भारतीय राष्ट्र की ताकत और लचीलेपन को बरकरार रखने में रचनात्मक योगदान दिया है।

लेख के शीर्षक की विवेचना-

शीर्षक 'एकता एवं आत्मनिर्भरता का सूत्रपात करता सहकारिता आन्दोलन' निम्नलिखित अर्थों और विषयों को व्यक्त करता प्रतीत होता है:

‘सहकारिता या सहकारी आंदोलन’ शीर्षक का यह भाग व्यक्तियों या समूहों के बीच सामूहिक प्रयास या सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। एक सहकारी आंदोलन में आम तौर पर सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने या साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए लोगों का एक साथ आना शामिल होता है। इस संदर्भ में, यह विभिन्न सहकारी पहलों या संगठनों को संदर्भित करता है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ‘आंदोलन’ किसी समाज या समुदाय में परिवर्तन लाने का मुख्य जरिया हो सकता है।

‘एकता’ एकता का तात्पर्य एकजुट होने या एक होने की स्थिति से है। शीर्षक के संदर्भ में, एकता इस विचार को संदर्भित करती है कि सहकारी आंदोलन व्यक्तियों या समूहों के बीच एकजुटता, सहयोग और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे रहा है। यह बताता है कि लोग एक साथ आ रहे हैं, मतभेदों को दूर कर रहे हैं और समान लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं।

भारत के संदर्भ में इस शीर्षक से पता चलता है कि देश में सहकारी समितियाँ हितधारकों के बीच एकता और समुदायों के भीतर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही हैं, खासकर कृषि जैसे क्षेत्रों में जहां इन सहकारी प्रयासों का उद्देश्य साझा चुनौतियों का समाधान करना, निर्भरता कम करना और भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष-

सहकारिता आंदोलन समुदायों और समाजों के भीतर एकता और आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख में उन विभिन्न तरीकों का पता लगाया गया है जिनसे सहकारी समितियाँ इन मूल्यों को बढ़ावा देती हैं और अपने सदस्यों और व्यापक समुदाय की भलाई में योगदान करती हैं। सहकारिता लोगों को, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, आम लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए एक साथ लाती है। वे सहयोग, साझा निर्णय लेने और अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करके एकता को बढ़ावा देते हैं। सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक संरचना के माध्यम से, सदस्यों को संगठन के मामलों

में समान अधिकार मिलता है, जिससे एकता की भावना बढ़ती है। सहकारिता व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाती है। संसाधनों और ज्ञान को एकत्रित करके, सदस्य अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सहकारी समितियाँ अक्सर ऋण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे अधिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।

सहकारी समितियाँ नौकरी के अवसर पैदा करके, छोटे पैमाने के उद्यमियों का समर्थन करके और सतत विकास में योगदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करती हैं। वे समुदायों के भीतर धन बनाए रखने और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। सहकारिता स्वभाव से समावेशी है, हाशिये पर पड़े और वंचित समूहों सहित सभी पृष्ठभूमि के लोगों का स्वागत करती है। यह समावेशिता समाज में सामाजिक असमानताओं और असमानताओं को कम करने में मदद करती है। सहकारी आंदोलन व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकारी समितियाँ अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की क्षमता प्रदर्शित करती हैं। वे सभी की भलाई के लिए मिलकर काम करने वाले लोगों की शक्ति का उदाहरण देते हैं, और उनके सिद्धांत एक अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज को आकार देते हैं।

भारत में सहकारी समितियों का समृद्ध ऐतिहासिक महत्व है, जो 20वीं सदी की शुरुआत से है। सहकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं ने किया था, जिन्होंने ग्रामीण गरीबी को संबोधित करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता को पहचाना था। सहकारी समितियाँ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं बल्कि कृषि, डेयरी, ऋण, आवास और कई अन्य क्षेत्रों में मौजूद हैं। सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाते हुए सहकारी आंदोलन कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सफल रहा है। सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी क्षमता के बावजूद, भारत में सहकारी समितियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप, पेशेवर प्रबंधन की कमी, वित्तीय कुप्रबंधन और बाजारों और संसाधनों तक सीमित पहुंच शामिल है। ये चुनौतियाँ सहकारी समितियों के विकास और प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकतांत्रिक कामकाज और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सहकारी कानूनों को कुछ हद तक मानकीकृत किया है। भारत में कई सफल सहकारी मॉडल हैं, जैसे डेयरी क्षेत्र में अमूल, जिसने लाखों किसानों के जीवन को बदल दिया है। डिजिटलीकरण, वैश्विक बाजारों तक पहुंच और बेहतर प्रशासन 21वीं सदी में सहकारी समितियों को फलने-फूलने में मदद कर रहा है। हालाँकि, उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उनका प्रभावी शासन सुनिश्चित करना आने वाले वर्षों में उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

References:

- *Cooperative Federalism in South Asia and Europe*, by M J Vinod, Steffy V Joseph, Joseph Chacko Chennatuserry, Dimitris N. Chrysoschoou.
- *Political Economy of Poverty: A Micro-Level Study*, by Manoj Kumar.
- *Centre-state Relations and Cooperative Federalism*, by Chander Pal.
- *ABP News, 01.07.2023, Indian Cooperative Congress*, by Shri Amit Shah, Hon'ble Union Home & Cooperative Minister.
- सहकारिता, लेखक डॉ बी.एस. माथुर ।
- सहकारिता का महत्व एवं सार्थकता, लेखक डॉ गुलाब सिंह आज़ाद ।
- सहकारिता देश और विदेश में, लेखक डॉ अम्बिका प्रसाद गुप्ता ।
- e-book, भारतीय सहकारिता आन्दोलन, लेखक श्री शंकरसहाय सक्सेना ।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सहकारिता, लेखक डॉ सावलिया बिहारी वर्मा ।
- भारतीय महिलाये और वाणिकी सहकारिता, लेखक डॉ अल्पना चौधरी ।